संख्या- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
1· समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 19 जून, 2017

विषय- इण्डिया मार्का-।। हैंन्डपम्पों को रिबोर कराने के सम्बंध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.05.2017 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इन्डिया मार्क-।। हैण्डपंप की रिबोरिंग के कार्य में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है:-

"प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य 14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को संक्रमित धनराशि से सम्बंधित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाएगा"। रिबोरिंग का कार्य ग्राम पंचायतें स्वयं अथवा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं (उ0प्र0 जल निगम/यू0पी0 स्टेट एग्रो लि0) के माध्यम से करा सकती है।

उक्त के सन्दर्भ में ग्राम पंचायतें हैण्डपम्प रिबोर कराने हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शक सिद्वान्तों का त्वरित अनुपालन करेंगी:-

1· हैण्डपंप रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुए हैंण्डपम्प रिबोरिंग के कार्यों को सर्वप्रथम संतृप्त किया जायेगा।

http://shasnadeshup.nic.in

2- रिबोरिंग के योग्य हैण्डपंप के तकनीकी अनुश्रवण का कार्य खण्ड स्तर पर उपलब्ध तकनीकी कर्मी यथा-जे.ई.एम.आई. एवं जे.ई.आर.ई.डी., मण्डी परिषद, जिला पंचायत के उपलब्ध तकनीकी कर्मियों अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

3- विकास खण्ड स्तर से अवर अभियन्ता का तकनीकी प्रशिक्षण जल निगम के तकनीकी एवं मानक प्रशिक्षक के द्वारा कराया जायेगा तथा उक्त पर आने वाले व्यय का वहन **14**वें वित्त आयोग की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की **64.5** प्रतिशत जो खण्ड स्तर पर उपलब्ध है, उसमें किया जायेगा।

4- हैण्डपंप रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शतप्रतिशत किया जायेगा।

5- ग्राम पंचायतों में हैंडपम्प रिबोरिंग सम्बन्धित समस्त कार्यो को ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त कर ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मलित किया जाएगा तथा प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए प्लान प्लस/एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आई.डी. विकसित करते हुए प्रिया-साफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम-एसेट पर रिबोर किये गये हैण्डपम्पों की फोटो एवं **Geo-Tagging** (अक्षांश/देशान्तर) अनिवार्यत: अंकित की जायेगी।

6- ग्राम सभा में रिबोर किये जाने वाले समस्त हैण्डपंपो की रिबोरिंग में, कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत विकास योजनान्तर्गत “जिलास्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति” द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

अत: उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतों में हैण्डपंप रिबोर के सम्बंध में उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- स्टाफ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।

3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

4- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ.प्र. शासन।

5- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ.प्र. शासन।

6- प्रमुख सचिव, मण्डी परिषद, उ.प्र।

7- प्रमुख सचिव, लघु सिचाई विभाग, उ.प्र.।

8- आयुक्त ग्राम्य विकास, उ.प्र.।

9- प्रबंध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0।

10- समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।

11- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in